राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 195/2025 प्रा0पत्र

अनवान

सविता देवी पत्नी भगवान सिंह जाति रावत आयु 50 वर्ष निवासी अन्तरिया, तहसील भीम जिला राजसमन्द।

..... प्रार्थी

—: बनाम :—

जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार, तहसील भीम जिला राजसमन्द, राजस्थान।

.....अप्रार्थी

उपस्थिति :—

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगत सिंह चौहान
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः— 13/4/2026

01. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि अग्र निम्न वर्णित आराजियात वाके ग्राम बली पटवार हल्का बली तहसील भीम जिला राज. में चली आ रही है जिसमें प्रार्थीया का तथा प्रार्थीया के पुत्र महेन्द्रसिंह के नाम उक्त वर्णित आराजियात में हिस्सा दर्ज होकर काश्तकार कि रूप में मालिकाना हक चला आ रहा है।

—:: प्ररिशिष्ठ (अ) ::—

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म
314	1706	0.1376	पेटा
कुल खसरे— 1 रकबा 0.1376 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/96 हिस्सा दर्ज है।			
588	3559	0.0081	गै.मु.चाह
कुल खसरे— 1 रकबा 0.0081 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/96 हिस्सा दर्ज है।			
930	3470	0.2428	बंझड़
कुल खसरे— 1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/40 हिस्सा दर्ज है।			
313	3476	0.1214	चाही 1
	3477	0.0243	गै.मु.चाह
	3593	0.0405	बारानी 1

Scanned with OKEN Scanner

कुल खसरे– 03 रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/41 हिस्सा दर्ज है।			
626	3481	0.0405	चाही 2
	3561	0.0162	जाव 3
	554	0.0405	बंझड़
	639	0.0405	बारानी 1
कुल खसरे– 04 रकबा 0.1377 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/4 हिस्सा दर्ज है।			

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म
772	3432	0.0121	गै.मु.चाह
कुल खसरे– 01 रकबा 0.0121 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पुत्र का 2/168 हिस्सा दर्ज है।			

यह कि उक्त ऊपर कॉलम संख्या 1 में अंकित भूमि जो कि प्रार्थीया को तथा प्रार्थीया के पुत्र को जरिये विरासत से प्रार्थीया के पति का देहान्त होने के बाद विरासत के तौर पर प्रार्थीया का हक व आधिपत्य है। यह कि उक्त अंकित भूमि में राजस्व कर्मचारी कि लिपिकिय त्रुटि से प्रार्थीया के पति का नाम जो कि भगवानसिंह के स्थान पर त्रुटिपूर्वक नाम भरतसिंह दर्ज होकर चला आ रहा है किन्तु मुझ प्रार्थीया के पति का सही नाम भगवानसिंह है जो कि सही नाम है। यह कि मुझ प्रार्थीया के पति का नाम भरतसिंह गलती पुर्वक राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर निरन्तर चला आने से मेरे पति का देहान्त हो जाने के पश्चात् विरासत के तौर पर हम वारिसानों के नाम के रेकार्ड में भी भरतसिंह नाम दर्ज हो रखा है। यह कि मुझ प्रार्थीया के पति का सही नाम भगवानसिंह है जो कि मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है। यह कि इसकी जानकारी मुझ प्रार्थीया को प्रधानमंत्री किसान योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ई.मित्र पर फॉर्म भरवाने गये जहां नाम सम्बन्धित समस्या होने से तथा जमाबन्दी व आधारकार्ड में नाम अलग–अलग होने से प्रार्थीया का तथा प्रार्थीया के पुत्र का प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त नही हो रहा है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कलम संख्या 1 में दर्ज भूमि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार सविता देवी पत्नी भरतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह का नाम दुरूस्त कर सविता देवी पत्नी भगवानसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करने कि कृपा करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में दर्ज खातेदार सविता देवी पत्नी भरतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह के बजाय सविता देवी पत्नी भगवानसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम सविता देवी पत्नी भरतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह दर्ज है जो गलत है जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पीपीओ कार्ड, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत बली जस्साखेड़ा के कार्यालय पत्र में इनका नाम सविता देवी पत्नी भगवानसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह है जो सही है ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तो कोई आपत्ति नही है। हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का

Scanned with OKEN Scanner

अवलोकन किया। उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया सविता देवी पत्नी भरतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भरतसिंह का नाम दुरस्त कर सविता देवी पत्नी भगवानसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/1/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner